बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06–विविध–12 / 2020– 1651– खाद्य, पटना / दिनांक– 18.04.2020

प्रेषक,

संगीता सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कोरोना वायरस (Covid-19) से उत्पन्न वैश्विक महामारी के कारण घोषित लॉक डाउन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (अन्त्योदय योजना / पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी) के पात्र लाभुकों को उनकी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभुकों / राशन कार्डधारी परिवार के सभी सदस्यों को प्रत्येक माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न (चावल) भी उपलब्ध कराया जाना है। इस संदर्भ में कतिपय जिलों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत (अन्त्योदय योजना / पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी) पात्र लाभुकों को नियमित खाद्यान्न वितरण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 1538 दिनांक 07.04.2020 के द्वारा निदेशित किया गया था।

अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत (अन्त्योदय योजना / पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी) पात्र लाभुकों को नियमित खाद्यान्न वितरण एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभुकों को 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न वितरण हेतु सभी संबंधित को निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– प्र06–विविध–12 / 2020– 1651 खाद्य, पटना / दिनांक– 18.04.2020

प्रतिलिपि– अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना / विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

D:\YEAR = 2020\SEC = 06 (SIX)\AVINASH JEE-2020.doc